MEMORANDUM OF ASSOCIATION & RULES

OF

MOTILAL NEHRU COLLEGE

(EARLIER CALLED HASTINAPUR COLLEGE)

MOTI BAGH SOCIETY

(UNIVERSITY OF DELHI)
NEW DELHI

UNIVERSITY OF DELHI

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE HASTINAPUR (renamed as : MOTILAL NEHRU) COLLEGE SOCIETY, DELHI/NEW DELHI.

- 1. The Society shall be named as the HASTINAPUR (now renamed as MOTILAL NEHRU) COLLEGE MOTI BAGH SOCIETY.
- 2. The registered office of the Society shall be in the Union Territory of Delhi.
- 3. The objects for which the Society is established are:- To establish, develop and maintain the educational institution called the Hastinapur College (renamed as Motilal Nehru College), Moti Bagh and to manage, supervise and administer its affairs.
- 4. Subject to the Act, Statutes, Ordinances, Rules and Regulations of the University of Delhi and to the conditions of Government grant, the Society shall have the power to do all things and acts necessary and incidental to the above-mentioned objects and without prejudice to the generality of the above to do the following things in particular:
- (i) to construct, demolish or alter any building which may be necessary or expedient for its objects,
- (ii) to provide hostels for students and residential accommodation for staff (teaching and other staff),
- (iii) to purchase, take on lease or accept as gift, or otherwise acquire, transfer, surrender, give on lease or otherwise alienate any real or personal property or rights therein or privileges attaching thereto which may be necessary or convenient for its purposes,
- (iv) to buy, sell, endorse, negotiate or transfer, Government or other securities, negotiable instruments including Hundis and to collect and realize interest, bonus, dividends and profits on such securities, negotiable instruments etc., for the purpose of the Society,
- (v) to invest funds belonging to the Society or under the control of the Society in such property and/or securities as is authorized by law for the investment of trust funds or such other classes of securities as may from time to time be approved by the Government of India or in any other manner as may be specifically approved by the University Grants Commission,
- (vi) to borrow or raise money for the fulfilment of the objects of the society with or without security by creating a charge, lien or mortgage on whole or any part of its properties, assets, rights or privileges on such terms and conditions and to such extent as may be determined by the Society from time to time,

- (vii) to do all such other acts and things incidental and ancillary to attainment of any of the objects specified above as may be expedient for the functioning of the Society as an educational institution,
- (viii) to appoint, promote, or dismiss, reduce in rank any of the members of the teaching or non-teaching staff of the Society,
- (ix) to frame rules, regulations, bye-laws for the administration of the Society, provided, however, that such rules, regulations and bye-laws shall always be in conformity with the Act, Statutes, Ordinances, Rules, Regulations and Resolutions of the University of Delhi and such other conditions as may be prescribed for Government grant to colleges,
- (x) to appoint such committees or sub-committees as may be expedient.
- 5. The membership of the Society shall be identical with that of the Governing Body. The affairs of the Society shall be vested in and administered by the Governing Body which shall be constituted in accordance with and subject to the provisions of the Act, Statutes, Ordinances, Regulations and resolutions of the University of Delhi.
- 6. (a) All leases, properties, documents and title deeds relating to the properties movable and immovable, of the Society shall be in the name of the Society.
- (b) All deeds of transfer and all leases, deeds and documents and all contracts shall be signed on behalf of the College by the Chairman and the Treasurer of the Governing Body jointly.
- 7. The income of the Society from its property or any other sources howsoever derived shall be applied solely towards the promotion of the objects of the Society and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of bonus or otherwise to the persons, who, at any time, are or have been members of the Society or to any of them provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration to any officer, employee or servant of the Society or to any member thereof or any other person in return for any services rendered to the Society by such officer, employee or servant.
- 8. No member/members of the Society shall be answerable for any loss or damages arising from the administration or application of the trust funds or for any damage or deterioration in any movable or immovable property of the Society unless such loss, damage or deterioration is brought about by his/their wilful neglect of default,
- 9. The names, addresses, occupations and designations of the present members of the Governing Body of the Society are as follows:-

1.	Mr. A.E.T. Barrow 17-A, Ferozeshal Road, New Delhi.	Member Parliament	Chairman, Governing Body
2.	Mr. R.S. Krishnan, C-II/29, Hardinge Avenue, Tilak Marg, New Delhi. Delhi.	Secretary (Finance), Delhi Admn.,	Treasurer, Governing Body
3.	Dr. V.S. Jha, 358-D, Defence Colony, New Delhi.	Ex-Vice-Chancellor Banaras Hindu University	Member
4.	Sh. B.D. Bhatt, 2, Sri Ram Road, Delhi	Secretary (Education), Delhi Admn., Delhi	Member
5.	Sh. S.L. Poplai, Sapru House, Bara Khamba Road, New Delhi.	Secretary General, Indian Council of World Affairs, New Delhi	Member
6.	Sh. Triyogi Narain	Under Secretary, Ministry of Education, University Division, Govt. of India, New Delhi.	Member
7.	Sh. R.K. Chhabra, 9A/8, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005.	Deputy Secretary, University Grants Commission Bahadur Shah Zafar Marg New Delhi.	Member
8.	Sh. T. Durairaj A-300, Defence Colony, New Delhi.	Asstt. Director General (PHE) Directorate General of Health Services, New Delhi.	Member
9.	Prof. A.N. Mitra, Govind Bhawan, 4, Darya Ganj, Delhi	Department of Physics, University of Delhi Delhi.	Member
10.	Prof. S. Chakravarti, 5/6, Roop Nagar, Delhi-6.	Department of Economics, University of Delhi Delhi-7.	Member
11.	Dr. R.K. Bhan G-16, NDSE-II, Ring Road, New Delhi-3.	Ex-Principal, Hastinapur (re-named as Motilal Nehru) College, Moti Bagh, New Delhi.	Member Secretary

We, the following persons whose names, addresses and occupations are hereunder subscribed, are desirous of being formed into a Society under the Societies Registration Act, (Act XXI of 1860).

1. Mr. A.E.T. Barrow

- 2. Mr. R.S. Krishnan
- 3. Dr. V.S. Jha
- 4. Sh. B.D. Bhatt
- 5. Sh. S.L. Poplai
- 6. Sh. Triyogi Narain
- 7. Sh. R.K. Chhabra
- 8. Sh. T. Durairaj
- 9. Prof. A.N. Mitra
- 10. Prof. S. Chakravarti
- 11. Dr. R.K. Bhan

RULES OF THE HASTINAPUR (RENAMED AS MOTILAL NEHRU) COLLEGE MOTI BAGH SOCIETY, NEW DELHI-110021

- 1. Unless the context otherwise provides—
- (i) The expression "Governi9ng Body" occurring hereinafter shall mean the governing Body of Hastinapur (renamed as Motilal Nehru) College Moti Bagh College Society, New Delhi-21.
- (ii) The expression "University" occurring hereinafter shall mean the University of Delhi.
- (iii) The expression "College" occurring hereinafter shall mean Hastinapur (renamed as Motilal Nehru) College, maintained and administered by the College Society.
- 2. The Rules hereinafter contained shall apply to the Society and the College subject to such Acts, Statutes and Ordinances, Regulations and resolutions of the University as are in force and as may be amended or revised from time to time.
- 3. The constitution, composition, term of office of members and the Chairmanship of the Governing Body of the Society shall be in accordance with Statute 30 read with Ordinance XVIII of the University of Delhi.
- 4. A member of the Governing Body shall cease to hold office if he/she—
- (i) dies or voluntarily resigns his office,
- (ii) is adjudged to be an insolvent or of unsound mind,
- (iii) is convicted of any offence involving moral turpitude,
- (iv) ceases to hold the qualifications, if any, required for nomination or election or appointment as member of the Society.
- 5. No action or proceedings of the Governing Body shall be invalid or called in question merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members, or any irregularity in the nomination or election of any of its members.
- 6. The Governing Body shall be the Executive authority of the College. The Governing Body shall hold, control and administer the property and funds of the College as well as other funds placed at the disposal of the College for any specific object. It may appoint a Finance Committee to advise it on matters relating to finance. The Governing Body shall, in addition to other duties vested in it, have the following powers:-
- (i) To enter into, vary, carry out, confirm and cancel contracts on behalf of the College.
- (ii) To consider the Annual Report, the Annual Accounts and the Financial Estimates.
- (iii) To lay before the University/Delhi Admn./and the University Grants Commission annually a statement of the financial requirements of the College.
- (iv) To fix admission, tuition and other fees to be charged from students reading and/or residing in the College (subject to any limitations laid down by the Delhi University).

- (v) To appoint Principal and other members of the teaching staff in accordance with the procedure laid down under Ordinance XVIII.
 Provided that every teacher shall be appointed under an agreement of service to be executed by the teacher in accordance with Ordinance XII of the University and no action shall be taken which shall be in contravention of any Statute, Ordinance or
- (vi) To appoint non-teaching staff excluding Class-IV employees of the College.

Regulations or Rule made by the University in this behalf.

- (vii) To grant, on the recommendation of the Principal, Study Leave, Extra-ordinary Leave to the teaching staff of the College subject to the Rules and Regulations of the University and the directions of the University Grants Commission from time to time.
- (viii) To institute, suspend or abolish such teaching and non-teaching posts, as may be considered necessary.
- (ix) To open an account or accounts in the name of the College with such scheduled bank or banks as the Governing Body may think fit and to keep the funds of the College deposited with such banks.
- (x) To take such insurance in respect of property or employees of the College, as the Governing Body may think fit.
- (xi) To make rules and to alter, amend or repeal the same, provided, all such alterations and amendments and repeals receive the approval of the University of Delhi.
- (xii) To exercise such other powers and to do such other acts or things as may be necessary or expedient for the proper performance of its duties.
- 7. The Chairman may, whenever the thinks fit, and shall upon requisition in writing signed by not less than five members of the Governing Body, convene a special meeting of the Governing Body. Provided that no such meeting shall ordinarily be convened during any period of vacations.
- 8. The Secretary shall ordinarily circulate among the members a notice of such meeting of the Governing Body at least seven days before the date fixed for such meeting together with a statement of the nature of business to be brought before the meeting. The Chairman may direct, IN CASE OF EMERGENCY, special meetings to be called by a shorter notice. At every meeting of the Governing Body, 1/3rd of the members shall from the guorum.
- 9. (i) The Chairman shall preside over the meetings of the Governing Body. In the absence of the Chairman at any particular meeting, the members present shall elect one of their members to be Chairman of the meeting.
- (ii) In any emergency, in which, in the opinion of the Chairman, immediate action is required, the Chairman shall, after considering the opinion of the Principal of the College, take such action subject to these "Rules" as he thinks necessary and shall report the action taken by him to the Governing Body at its next meeting for approval and confirmation.

- 10. (i) The Treasurer shall advise the Governing Body in regard to its financial policy.
- (ii) The Treasurer shall, subject to the directions of the Governing Body, manage the property and investments of the College and shall be responsible for the presentation of the Annual Estimated and the Annual Statements of Accounts.
- (iii) The Treasurer shall be the custodian of the funds and securities of the College.
- (iv) Subject to the direction and control of the Governing Body, the Treasurer shall have power to buy, sell, endorse, and otherwise negotiate or transfer all Government or other securities, stocks, shares and other instruments of a similar character on behalf of the College and to realize interest, dividend, bonus or profit due thereon.
- (v) All suits and proceedings by or against the College affecting property, investment and other financial matters shall be filed and defended in the name of the Treasurer.
- (vi) The Treasurer shall exercise such further powers and perform such other duties as may be prescribed by the Governing Body.
- 11.(i) The Principal being the Head of the College under the Act shall be the Chief Executive Officer of the College.
- (ii) The Principal shall realize and receive all grants or other money due to the College from Central and State Governments, and the University and other persons, bodies and authorities.
- (iii) The Principal shall be responsible for the organization of teaching and co-curriculum activities of the College.
- (iv) The Principal shall sanctioned increments to the non-teaching staff according to the rules except that in cases where the increments are to be stopped or postponed, the same may be done only with the prior approval of the Governing Body.
- (v) The Principal shall sanction leave of all types, within the rules prescribed, to all non-teaching staff and officiating arrangements, wherever necessary, will also be made by him in accordance with the Rules.
- (vi) The Principal shall sanction all types of leave excepting study leave and extraordinary leave to the teaching staff in accordance with the rules except that in case the grant of leave involves appointment of a substitute, the same will be done by him with the approval of the Chairman.
- (vii) The Principal may suspend any non-teaching employee after recording in writing the reason for the same and proceed to take disciplinary action, but no final decision regarding punishment etc. will be taken by him without the prior approval of the Governing Body.
- (viii) Subject to control by the governing Body the Principal shall, in addition to his other powers and functions, (i) operate the Students' Fund (ii) have powers to appoint class IV staff and suspend and dismiss such staff and report the same to the Governing Body.

- (ix) The Principal will decide the policies regarding Examination (College), promotion and admission to the College after consultation with the Staff Council as constituted under the appropriate Ordinances.
- (x) The Principal will sanction the permission of tuition fees within the financial limits laid down under the rules on the basis of the recommendations of the Committee of teachers constituted for the purpose.
- (xi) The Principal, in order to keep the members of the Governing Body informed of the progress of expenditure of the College, shall submit a half yearly statement of income and expenditure of the College, through the Treasurer, to the Governing Body for information according to the Budget heads.
- 12. The appointment of the teaching staff, their confirmation, extension of service, termination of service, grant of increment, scales of pay, leave, conditions of service and any dispute arising therefrom, will be governed by the provisions laid down under Ordinance XVIII and conditions of Government grant to Colleges, as amended from time to time.
- 13. The Accounts of the College shall be maintained in the name of the College and not in the name of a particular Trust or Society whether financing or sponsoring the College or not.

The appointment of Auditor to audit the accounts of the College shall be made in accordance with the procedure laid down in the Ordinance. The Audit Certificate shall be appended to the application for grant. The accounts of the College will be open to audit by the Comptroller and Auditor General of India at his discretion.

All funds, belonging to the College or under the control of the Governing Body, shall be shown separately in the accounts of the College.

The College shall maintain the following Bank accounts:-

- 1. Capital
- 2. Maintenance Grant
- 3. Students' Societies
- 4. Hostel

Subject to the availability of funds and the limits laid down for expenditure under different items by the University Grants Commission for purpose of approved expenditure, the accounts will be operated and the cheques will be signed by persons as follows:-

Name of Account	Persons authorized to operate and to issue cheques	Alternative persons
Capital Account	The Chairman and the Treasurer signing jointly.	In the absence of either of the two the Principal will sign the cheques in his place.

Maintenance Grant Account	The Treasurer and the	In the absence of the
	Principal signing jointly	Treasurer, the Principal and
		the Domestic Bursar will sign
		the cheques
Students' societies Accounts	The Principal and the	In the absence of either of
	Domestic Bursar signing	the two, the Treasurer will
	jointly	sign the cheques in his place
Hostel Accounts	The Principal and the	
	Warden signing jointly	

All expenditure will be incurred in accordance with the rules to be framed for the purpose. There shall be a suitable imprest cash for the Principal to meet the day to day contingent expenses.

- 14. Investment of funds belonging to the College or under the control of the Governing Body shall be made in property and securities authorized by law for the investment of trust funds or such other classes of security as may, from time to time, be approved by the Government of India, or in any other manner as may be specifically approved by the University Grants Commission.
- 15.(i) In case it is deemed expedient to alter, extend or abridge the purpose for which the Society is established or to amalgamate wholly or partially with any other society or change any other clause of the Memorandum, the same shall be done in accordance with the procedure laid down in Section 12 of Societies Registration Act 1860 (Act XXI of 1860).
- (ii) The Governing Body may at any time amend any of the Rules of the Society but no such amendment shall be made which is not in conformity with the Act, Statutes and Ordinances, of the University and further no such amendment shall come into force unless the same is approved by the Executive Council of the University.
- 16. The College shall not be closed without the consent of the University.

If the College ceases to exist with the consent of the University, the disposal of its assets, where not already specifically provided for, shall be settled by the Governing Body and the University of Delhi in consultation with the Government of India. Should these bodies fail to reach an agreement, the Government of India shall appoint an arbitrator acceptable to the other two. The decision of the arbitrator shall be final.

We, the undersigned members of the Governing Body, certify that this is a true copy of the Rules of the Hastinapur (Re-named as Motilal Nehru) College, Moti Bagh, New Delhi-21, College Society, Delhi/New Delhi.

- 1. Mr. A.E.T. Barrow
- 2. Mr. R.S. Krishnan
- 3. Dr. V.S. Jha
- 4. Mr. B.D. Bhatt
- 5. Mr. S.L. Poplai

- 6. Mr. Triyogi Narain
- 7. Mr. R.K. Chhabra
- 8. Mr. T. Durairaj
- 9. Prof. A.N. Mitra
- 10. Prof. S. Chakravarti
- 11. Dr. R.K. Bhan

एसोसिएशन और नियमों का ज्ञापन

मोतीलाल नेहरू कॉलेज (पहले हस्तिनापुर कॉलेज कहा जाता था) मोती बाग सोसायटी (दिल्ली विश्वविद्यालय) नई दिल्ली

दिल्ली विश्वविद्यालय

संघ के ज्ञापन हस्तिनापुर (बदला हुआ नाम: मोतीलाल नेहरू) कॉलेज सोसायटी, दिल्ली/नई दिल्ली।

- 1. सोसायटी का नाम हस्तिनापुर (अब मोतीलाल नेहरू के रूप में बदला गया) कॉलेज मोती बाग सोसाइटी रखा जाएगा।
- 2. सोसायटी का पंजीकृत कार्यालय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में होगा।
- 3. जिन उद्देश्यों के लिए सोसाइटी की स्थापना की गई है वे हैं: - हस्तिनापुर कॉलेज (मोतीलाल नेहरू कॉलेज के रूप में नामित), मोती बाग नामक शैक्षणिक संस्थान की स्थापना, विकास और रखरखाव और इसके मामलों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रशासन करना।
- 4. दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों, नियमों और विनियमों के अधीन और सरकारी अनुदान की शर्तों के अधीन, सोसायटी के पास उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आवश्यक और आकस्मिक सभी चीजों और कार्यों को करने की शक्ति होगी और बिना विशेष रूप से निम्नलिखित चीजों को करने के लिए उपरोक्त की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह:
- (i) किसी ऐसे भवन का निर्माण, विध्वंस या परिवर्तन करना जो उसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक या समीचीन हो,

- (ii) छात्रों के लिए छात्रावास और कर्मचारियों (शिक्षण और अन्य कर्मचारियों) के लिए आवासीय आवास प्रदान करना, (iii) खरीदना, पट्टे पर लेना या उपहार के रूप में स्वीकार करना, या अन्यथा अर्जित करना, स्थानांतरित करना, आत्मसमर्पण करना, पट्टे पर देना या अन्यथा किसी भी वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति या अधिकारों या उससे जुड़े विशेषाधिकारों को अलग करना, जो इसके उद्देश्यों के लिए आवश्यक या सुविधाजनक हो सकता है,
- (iv) सोसायटी के उद्देश्य के लिए खरीद, बिक्री, समर्थन, बातचीत या हस्तांतरण, सरकार या अन्य प्रतिभूतियों, हुंडियों सहित परक्राम्य लिखत और ऐसी प्रतिभूतियों, परक्राम्य लिखतों आदि पर ब्याज, बोनस, लाभांश और लाभ एकत्र करना और वसूल करना।
- (v) ट्रस्ट फंड या ऐसे अन्य वर्गों की प्रतिभूतियों के निवेश के लिए जो समय-समय पर अनुमोदित हो सकते हैं, ऐसी संपितत और / या प्रतिभूतियों में सोसायटी से संबंधित या सोसायटी के नियंत्रण में धन का निवेश करना। भारत सरकार या किसी अन्य तरीके से जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया जा सकता है, (vi) इस तरह के नियमों और शर्तों पर अपनी संपित्तयों, संपित्तयों, अधिकारों या विशेषाधिकारों के पूरे या किसी हिस्से पर चार्ज, ग्रहणाधिकार या बंधक बनाकर या बिना सुरक्षा के समाज के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन उधार लेना या जुटाना

- और समाज द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकने वाली सीमा,
- (vii) ऊपर निर्दिष्ट किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ऐसे अन्य सभी कार्य और चीजें करना जो एक शैक्षणिक संस्थान के रूप में सोसायटी के कामकाज के लिए समीचीन हो, प्रासंगिक और सहायक हों,
- (viii) सोसाइटी के शिक्षण या गैर-शिक्षण कर्मचारियों के किसी भी सदस्य को नियुक्त करना, बढ़ावा देना या बर्खास्त करना, रैंक में कमी करना,
- (ix) सोसायटी के प्रशासन के लिए नियमों, विनियमों, उप-नियमों को तैयार करना, बशर्त कि ऐसे नियम, विनियम और उप-नियम हमेशा अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों, नियमों, विनियमों और संकल्पों के अनुरूप हों। दिल्ली विश्वविद्यालय और ऐसी अन्य शर्तें जो कॉलेजों को सरकारी अनुदान के लिए निर्धारित की जा सकती हैं,
- (x) ऐसी समितियों या उप-समितियों की नियुक्ति करना जो समीचीन हों।
- 5. सोसायटी की सदस्यता शासी निकाय के समान होगी। सोसायटी के मामलों को शासी निकाय में निहित और प्रशासित किया जाएगा, जिसका गठन दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिनियम, विधियों, अध्यादेशों, विनियमों और प्रस्तावों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

- 6. (ए) सोसायटी के चल और अचल संपत्तियों से संबंधित सभी पट्टे, संपत्ति, दस्तावेज और शीर्षक विलेख सोसायटी के नाम पर होंगे।
- (बी) स्थानांतरण के सभी विलेख और सभी पहों, विलेखों और दस्तावेजों और सभी अनुबंधों पर कॉलेज की ओर से शासी निकाय के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 7. सोसाइटी की संपत्ति या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त आय, चाहे वह किसी भी तरह से प्राप्त की गई हो, पूरी तरह से सोसाइटी के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए लागू की जाएगी और इसका कोई भी हिस्सा बोनस के रूप में या अन्यथा व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भुगतान या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। , जो किसी भी समय, सोसायटी या उनमें से किसी के सदस्य हैं या रहे हैं, बशर्ते कि इसमें शामिल कुछ भी सोसायटी के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या कर्मचारी या उसके किसी भी सदस्य को पारिश्रमिक के अच्छे विश्वास में भुगतान को नहीं रोकेगा या ऐसे अधिकारी, कर्मचारी या सेवक द्वारा सोसाइटी को दी गई सेवाओं के बदले में कोई अन्य व्यक्ति,
- 8. संस्था का कोई भी सदस्य/सदस्य प्रशासन या ट्रस्ट फंड के आवेदन से होने वाली किसी भी हानि या क्षिति के लिए या सोसाइटी की किसी भी चल या अचल संपत्ति में किसी भी क्षिति या गिरावट के लिए जवाबदेह नहीं होगा जब तक कि

- ऐसी हानि, क्षति या गिरावट न हो चूक की उसकी/उनकी जानबूझ कर उपेक्षा के कारण हुआ,
- 9. सोसायटी के शासी निकाय के वर्तमान सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय और पद इस प्रकार हैं:-
- 1. श्री ए.ई.टी. बैरो सदस्य संसद अध्यक्ष, 17-ए, फिरोजशाह रोड, शासी निकाय नई दिल्ली।
- 2. श्री आर.एस. कृष्णन, सचिव (वित्त), कोषाध्यक्ष, सी-II/29, हार्डिंग एवेन्यू, दिल्ली प्रशासन, शासी निकाय तिलक मार्ग, नई दिल्ली। दिल्ली।
- 3. डॉ. वी.एस. झा, पूर्व कुलपति सदस्य 358-डी, डिफेंस कॉलोनी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नई दिल्ली।
- श्री बी.डी. भट्ट, सचिव (शिक्षा), सदस्य
 श्री राम रोड, दिल्ली दिल्ली प्रशासन, दिल्ली
- 5. श्री एस.एल. पोपलई, महासचिव, सदस्य सप्रू हाउस, भारतीय परिषद बड़ा खंबा रोड, विश्व मामले, नई दिल्ली नई दिल्ली।

- 6. श्री. त्रियोगी नारायण अवर सचिव, सदस्य शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय प्रभाग, सरकार भारत के, नई दिल्ली।
- 7. श्री. आर.के. छाबड़ा, उप सचिव, सदस्य 9ए/8, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली-110005. बहादुर शाह जफर मार्ग नई दिल्ली।
- 8. श्री टी. दुरैराज निदेशक सदस्य ए-300, डिफेंस कॉलोनी, जनरल (पीएचई) नई दिल्ली। महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं, नई दिल्ली।
- 9. प्रो. ए.एन. मित्रा, भौतिकी विभाग, सदस्य गोविंद भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय 4, दरिया गंज, दिल्ली दिल्ली।
- 10. प्रो. एस. चक्रवर्ती, अर्थशास्त्र विभाग, सदस्य 5/6, रूप नगर, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली-6. दिल्ली-7.

11. डॉ. आर.के. भान पूर्व प्राचार्य, सदस्य सचिव जी-16, एनडीएसई-द्वितीय, हस्तिनापुर रिंग रोड, मोतीलाल नेहरू) कॉलेज, नई दिल्ली-3. मोती बाग, नई दिल्ली।

हम, निम्नित्यित व्यक्ति जिनके नाम, पते और व्यवसाय यहां सब्सक्राइब किए गए हैं, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, (1860 का अधिनियम XXI) के तहत एक सोसायटी में गठित होने के इच्छुक हैं।

- 1. श्री ए.ई.टी. बैरो
- 2. श्री आर.एस. कृष्णन
- 3. डॉ. वी.एस. झा
- 4. श्री बी.डी. भट्ट
- 5. श्री एस.एल. पोपलाई
- 6. श्री त्रियोगी नारायण
- 7. श्री आर.के. छाबड़ा
- 8. श्री टी. द्रैराजी
- 9. प्रो. ए.एन. मित्रा
- 10. प्रो. एस. चक्रवर्ती
- 11. डॉ. आर.के. भान

हस्तिनापुर के नियम (मोतीलाल नेहरू के रूप में नामित) कॉलेज मोती बाग सोसायटी, नई दिल्ली-110021

- 1. जब तक संदर्भ अन्यथा प्रदान न करे-
- (i) इसके बाद आने वाली अभिव्यक्ति "शासकीय निकाय" का अर्थ हस्तिनापुर (जिसका नाम बदलकर मोतीलाल नेहरू रखा गया है) कॉलेज मोती बाग कॉलेज सोसायटी, नई दिल्ली-21 के शासी निकाय से होगा।
- (ii) इसके बाद आने वाली अभिव्यक्ति "विश्वविद्यालय" का अर्थ दिल्ली विश्वविद्यालय होगा।
- (iii) इसके बाद आने वाली अभिव्यक्ति "कॉलेज" का अर्थ हस्तिनापुर (मोतीलाल नेहरू के रूप में बदला हुआ) कॉलेज होगा, जिसका रखरखाव और प्रशासन कॉलेज सोसायटी द्वारा किया जाएगा।
- 2. इसके बाद निहित नियम विश्वविद्यालय के ऐसे अधिनियमों, विधियों और अध्यादेशों, विनियमों और संकल्पों के अधीन सोसायटी और कॉलेज पर लागू होंगे जो समय-समय पर संशोधित या संशोधित किए जा सकते हैं।
- 3. संविधान, संरचना, सदस्यों के पद की अविध और सोसाइटी के शासी निकाय की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेश XVIII के साथ पठित संविधि 30 के अनुसार होगी।
- 4. शासी निकाय का कोई सदस्य पद पर नहीं रहेगा यदि वह-
- (i) मर जाता है या स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा देता है,

- (ii) दिवालिया या विकृत दिमाग का माना जाता है,
- (iii) नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है,
- (iv) सोसायटी के सदस्य के रूप में नामांकन या चुनाव या नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता, यदि कोई हो, को रोकना बंद कर देता है।
- 5. शासी निकाय की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही केवल उसके सदस्यों के बीच किसी रिक्ति या रिक्तियों के अस्तित्व, या उसके किसी सदस्य के नामांकन या चुनाव में किसी अनियमितता के कारण अमान्य या प्रश्न में नहीं बुलाई जाएगी।
- 6. शासी निकाय कॉलेज का कार्यकारी प्राधिकारी होगा। शासी निकाय कॉलेज की संपितत और निधियों के साथ-साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कॉलेज के निपटान में रखी गई अन्य निधियों को धारण, नियंत्रित और प्रशासित करेगा। यह वित्त से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए एक वित्त समिति नियुक्त कर सकता है। शासी निकाय में निहित अन्य कर्तव्यों के अलावा, निम्नलिखित शक्तियां होंगी: -
- (i) कॉलेज की ओर से अनुबंधों में प्रवेश करना, बदलना, पूरा करना, पुष्टि करना और अनुबंध रद्द करना।
- (ii) वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक खातों और वित्तीय अनुमानों पर विचार करना।

- (iii) विश्वविद्यालय/दिल्ली प्रशासन/और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के समक्ष प्रतिवर्ष कॉलेज की वित्तीय आवश्यकताओं का विवरण प्रस्तुत करना। (iv) कॉलेज में पढ़ने और/या रहने वाले छात्रों से लिए जाने वाले प्रवेश, ट्यूशन और अन्य शुल्क (दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किसी भी सीमा के अधीन) तय करना।
- (v) अध्यादेश XVIII के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रधानाचार्य और शिक्षण स्टाफ के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करना।
- बशर्ते कि प्रत्येक शिक्षक को विश्वविद्यालय के अध्यादेश XII के अनुसार शिक्षक द्वारा निष्पादित की जाने वाली सेवा के समझौते के तहत नियुक्त किया जाएगा और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी जो विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए किसी भी क़ानून, अध्यादेश या विनियम या नियम के उल्लंघन में होगी। इस संबंध में।
- (vi) कॉलेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति करना।
- (vii) विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों और समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अधीन, प्राचार्य की सिफारिश पर, कॉलेज के शिक्षण स्टाफ को अध्ययन अवकाश, असाधारण अवकाश प्रदान करना।

- (viii) ऐसे शिक्षण और गैर-शैक्षणिक पदों को स्थापित करना, निलंबित करना या समाप्त करना, जैसा कि आवश्यक समझा जा सकता है।
- (ix) कॉलेज के नाम पर ऐसे अनुसूचित बैंक या बैंकों में खाता या खाता खोलना जो शासी निकाय उचित समझे और कॉलेज की धनराशि को ऐसे बैंकों में जमा रखना।
- (x) कॉलेज की संपत्ति या कर्मचारियों के संबंध में ऐसा बीमा लेना, जो शासी निकाय ठीक समझे।
- (xi) नियम बनाना और उनमें परिवर्तन, संशोधन या निरसन करना, बशर्ते, ऐसे सभी परिवर्तन और संशोधन और निरसन को दिल्ली विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (xii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्य या चीजें करना जो अपने कर्तव्यों के उचित प्रदर्शन के लिए आवश्यक या समीचीन हों।
- 7. अध्यक्ष, जब भी ठीक समझे, और शासी निकाय के कम से कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित में मांग किए जाने पर, शासी निकाय की एक विशेष बैठक बुला सकता है। बशर्ते कि ऐसी कोई बैठक सामान्यत: अवकाश की किसी अविध के दौरान आयोजित नहीं की जाएगी।
- 8. सचिव सामान्यतया सदस्यों के बीच इस तरह की बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम सात दिन पहले शासी निकाय की ऐसी बैठक की सूचना के साथ बैठक से पहले लाए जाने वाले व्यवसाय की प्रकृति के विवरण के साथ परिचालित

करेगा। अध्यक्ष, आपात स्थिति में, अल्पाविध नोटिस द्वारा विशेष बैठक बुलाने का निर्देश दे सकते हैं। शासी निकाय की प्रत्येक बैठक में, सदस्यों का 1/3 गणपूर्ति से होगा। 9. (i) अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। किसी विशेष बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से एक को बैठक का अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

- (ii) किसी भी आपात स्थिति में, जिसमें अध्यक्ष की राय में, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है, अध्यक्ष, कॉलेज के प्राचार्य की राय पर विचार करने के बाद, इन "नियमों" के अधीन ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और उसके द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट शासी निकाय को उसकी अगली बैठक में अनुमोदन और पृष्टि के लिए देगा।
- 10. (i) कोषाध्यक्ष अपनी वित्तीय नीति के संबंध में शासी निकाय को सलाह देगा।
- (ii) कोषाध्यक्ष, शासी निकाय के निर्देशों के अधीन, कॉलेज की संपत्ति और निवेश का प्रबंधन करेगा और वार्षिक अनुमानित और खातों के वार्षिक विवरणों की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होगा।
- (iii) कोषाध्यक्ष कॉलेज की निधियों और प्रतिभूतियों का संरक्षक होगा।

- (iv) शासी निकाय के निर्देश और नियंत्रण के अधीन, कोषाध्यक्ष के पास सभी सरकारी या अन्य प्रतिभूतियों, स्टॉक, शेयरों और समान प्रकृति के अन्य उपकरणों को खरीदने, बेचने, समर्थन करने और अन्यथा बातचीत करने या स्थानांतरित करने की शक्ति होगी। कॉलेज और उस पर देय ब्याज, लाभांश, बोनस या लाभ की वसूली के लिए। (v) संपत्ति, निवेश और अन्य वित्तीय मामलों को प्रभावित करने वाले कॉलेज द्वारा या उसके खिलाफ सभी मुकदमे और कार्यवाही कोषाध्यक्ष के नाम पर दायर और बचाव किया जाएगा।
- (vi) कोषाध्यक्ष ऐसी और शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो शासी निकाय द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।
- 11.(i) प्राचार्य अधिनियम के तहत कॉलेज के प्रमुख होने के नाते कॉलेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे।
- (ii) प्राचार्य केंद्र और राज्य सरकारों, और विश्वविद्यालय और अन्य व्यक्तियों, निकायों और प्राधिकरणों से कॉलेज के कारण सभी अनुदान या अन्य धन की वसूली और प्राप्त करेगा।
- (iii) प्राचार्य कॉलेज के शिक्षण और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों के आयोजन के लिए जिम्मेदार होंगे।
- (iv) प्रधानाचार्य गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को नियमों के अनुसार वेतन वृद्धि स्वीकृत करेगा सिवाय उन मामलों में जहां

वेतन वृद्धि को रोका या स्थगित किया जाना है, वह केवल शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है। (v) प्राचार्य सभी गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों को निर्धारित नियमों के अंतर्गत सभी प्रकार के अवकाश स्वीकृत करेंगे तथा स्थानापन्न व्यवस्था, जहाँ आवश्यक हो, उनके द्वारा नियमों के अनुसार की जाएगी।

(vi) प्रधानाचार्य अध्यापन कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार के अवकाश नियमों के अनुसार स्वीकृत करेंगे सिवाय इसके कि यदि अवकाश स्वीकृत करने में किसी स्थानापन्न व्यक्ति की नियुक्ति शामिल है, तो वह उसके द्वारा किया जाएगा। अध्यक्ष की स्वीकृति।

(vii) प्रधानाध्यापक किसी भी गैर-शिक्षण कर्मचारी को लिखित में कारण दर्ज करने के बाद निलंबित कर सकते हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना उनके द्वारा दंड आदि के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जाएगा। (viii) शासी निकाय के नियंत्रण के अधीन, प्रधानाचार्य, अपनी अन्य शक्तियों और कार्यों के अलावा, (i) छात्र निधि का संचालन करेगा (ii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नियुक्त करने और ऐसे कर्मचारियों को निलंबित और बर्खास्त करने और रिपोर्ट करने की शक्ति है शासी निकाय के समान।

- (ix) प्राचार्य उचित अध्यादेशों के तहत गठित स्टाफ काउंसिल के परामर्श के बाद परीक्षा (कॉलेज), पदोन्नित और कॉलेज में प्रवेश के संबंध में नीतियों का फैसला करेंगे। (x) प्राचार्य इस उद्देश्य के लिए गठित शिक्षकों की समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमों के तहत निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर ट्यूशन फीस की अनुमित को मंजूरी देंगे। (xi) प्राचार्य, शासी निकाय के सदस्यों को कॉलेज के खर्च की प्रगति से अवगत कराने के लिए, कॉलेज की आय और व्यय का अर्धवार्षिक विवरण, कोषाध्यक्ष के माध्यम से, जानकारी के लिए शासी निकाय को प्रस्त्त करेगा। बजट मदों के अनुसार।
- 12. शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति, उनकी पुष्टि, सेवा विस्तार, सेवा की समाप्ति, वेतन वृद्धि, वेतनमान, छुट्टी, सेवा की शर्तें और इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को अध्यादेश XVIII के तहत निर्धारित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। और समय-समय पर संशोधित कॉलेजों को सरकारी अनुदान की शर्तें।
- 13. कॉलेज के खाते कॉलेज के नाम पर रखे जाएंगे, न कि किसी विशेष ट्रस्ट या सोसाइटी के नाम पर, चाहे कॉलेज का वित्तपोषण हो या प्रायोजित हो या नहीं।

महाविद्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए अंकेक्षक की नियुक्ति अध्यादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र अनुदान के लिए आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। कॉलेज के खाते भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अपने विवेक से लेखापरीक्षा के लिए खुले रहेंगे।

कॉलेज से संबंधित या शासी निकाय के नियंत्रण में सभी फंड कॉलेज के खातों में अलग से दिखाए जाएंगे। कॉलेज निम्नलिखित बैंक खातों का रखरखाव करेगा: -

- 1. Capital
- 2. रखरखाव अन्दान
- 3. छात्र समाज
- 4. छात्रावास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित व्यय के प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता तथा विभिन्न मदों के अंतर्गत व्यय के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन, खातों का संचालन किया जाएगा और चेक पर व्यक्तियों द्वारा निम्नानुसार हस्ताक्षर किए जाएंगे:-

खाता का नाम संचालित करने और चेक जारी करने के लिए अधिकृत व्यक्ति वैकल्पिक व्यक्ति पूंजी खाता अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हैं। दोनों में से किसी की भी अनुपस्थिति में प्राचार्य उनके स्थान पर चेक पर हस्ताक्षर करेंगे। अनुरक्षण अनुदान खाता कोषाध्यक्ष और प्रधान संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, प्रधान और घरेलू बर्सर चेक पर हस्ताक्षर करेंगे

छात्र समाज लेखा प्रधानाचार्य और घरेलू बर्सर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हैं दोनों में से किसी की अनुपस्थिति में, कोषाध्यक्ष अपने स्थान पर चेक पर हस्ताक्षर करेगा छात्रावास लेखा प्रधानाचार्य और वार्डन संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करते हैं

सभी व्यय इस प्रयोजन के लिए बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार किए जाएंगे। दिन-प्रतिदिन के आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रधानाचार्य के लिए एक उपयुक्त अग्रदाय नकद होगा।

- 14. कॉलेज से संबंधित या शासी निकाय के नियंत्रण में धन का निवेश ट्रस्ट फंड या सुरक्षा के ऐसे अन्य वर्गों के निवेश के लिए कानून द्वारा अधिकृत संपत्ति और प्रतिभूतियों में किया जाएगा, जिसे समय-समय पर अनुमोदित किया जा सकता है भारत सरकार, या किसी अन्य तरीके से जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित किया जा सकता है।
- 15.(i) जिस उद्देश्य के लिए सोसायटी की स्थापना की गई है, उसमें परिवर्तन, विस्तार या संक्षिप्तीकरण करना या किसी अन्य सोसायटी के साथ पूर्ण या आंशिक रूप से समामेलित

करना या ज्ञापन के किसी अन्य खंड को बदलना समीचीन समझा जाता है, तो ऐसा ही किया जाएगा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का अधिनियम XXI) की धारा 12 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार।

(ii) शासी निकाय किसी भी समय सोसायटी के किसी भी नियम में संशोधन कर सकता है लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के अधिनियम, विधियों और अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है और आगे ऐसा कोई संशोधन लागू नहीं होगा जब तक कि इसे विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है। 16. विश्वविद्यालय की सहमति के बिना महाविद्यालय बंद नहीं किया जाएगा।

यदि विश्वविद्यालय की सहमित से कॉलेज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो इसकी संपत्ति का निपटान, जहां पहले से ही विशेष रूप से प्रदान नहीं किया गया है, भारत सरकार के परामर्श से शासी निकाय और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। यदि ये निकाय एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं, तो भारत सरकार अन्य दो को स्वीकार्य मध्यस्थ नियुक्त करेगी। मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा। हम, शासी निकाय के अधोहस्ताक्षरी सदस्य, प्रमाणित करते हैं कि यह हस्तिनापुर (पुनः नामित मोतीलाल नेहरू) कॉलेज, मोती बाग, नई दिल्ली-21, कॉलेज सोसायटी, दिल्ली/नई दिल्ली के नियमों की एक सच्ची प्रति है।

- 1. श्री ए.ई.टी. बैरो
- 2. श्री आर.एस. कृष्णन
- 3. डॉ. वी.एस. झा
- 4. श्री बी.डी. भट्ट
- 5. श्री एस.एल. पोपलाई
- 6. श्री त्रियोगी नारायण
- 7. श्री आर.के. छाबड़ा
- 8. श्री टी. दुरैराजी
- 9. प्रो. ए.एन. मित्रा
- 10. प्रो. एस. चक्रवर्ती
- 11. डॉ. आर.के. भान